राधा सिंह
सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई
दिल्ली–110001

दिनांक 10 जून, 2005

प्राक्कथन

भारत की कृषि मौसम स्थितियां बागवानी फसलों की विशाल किस्मों की खेती के अनुकूल हैं । बागवानी फसलों की खेती विविधीकरण, प्रति यूनिट भूमि से ज्यादा आय की प्राप्ति, रोजगार के बेहतर अवसर और निर्यात की उत्कृष्ट संभावनाओं के लिए पूरी तरह सक्षम है । बागवानी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में एक प्रमुख यंत्र के रूप में सिद्ध होगा इसके साथ ही इस क्षेत्र से खाद्य और पोषण सुरक्षा भी प्राप्त होगी । इन अंतर्निष्ठ लाभदायक तथ्यों पर विचार करते हुए कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने योजना स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त प्रयास किए हैं।

बागवानी क्षेत्र में इससे पूर्व के कार्यक्रम ज्यादातर योजनाबद्ध थे सिवाय उत्तर पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन'' (टी एम एन ई) को छोड़कर, जो दिनांक 29 फरवरी, 2001 को आरंभ किया गया था । भारत में पिछले दशक में किए गए प्रयासों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप बागवानी क्षेत्र में स्पष्ट प्रगति दृष्टिगत हुई है । विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वितीय विशाल उत्पादक देश के रूप में उभरकर सामने आया है और बहुत सी बागवानी फसलों जैसे– आम, केला, चीकू, लीची, नारियल, काजू और मसालों के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यद्यपि बागवानी पण्यों का उत्पादन संतोषजनक है फिर भी उत्पादकता, गुणवत्ता तथा बाजार में हिस्सेदारी के संदर्भ में काफी प्रगति करने की जरूरत है ।

इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने समस्त स्टेकहोल्डरों की सक्रिय सहभागिता के साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज सम्पर्कों को सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2005–2006 से दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) को आरंभ करने का निर्णय किया है । मिशन मुख्य रूप से बागवानी फसलों के

विकास के लिए क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत सामूहिक दृष्टिकोण पर प्रबलित रूप से ध्यान देगा जो तुलनात्मक रूप में लाभप्रद होगा । उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए बहुत से कार्यकलापों को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है । इसके अलावा उत्पाद की कटाई या तुड़ाई के बाद उचित प्रबंध को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसान अपने उत्पाद को सही ढंग से तोड़ने में और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम हो सकें । राष्ट्रीय बागवानी मिशन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य सरकार, अनुसंधान संस्थानों एवं संगठनों, किसान संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, बागवानी में सहकारी सोसायटी, विपणन बोर्डों और अन्य बहुत सी संस्थाओं तथा विभिन्न अभिकरणों में सक्रिय सहभागिता के साथ शामिल है ।

हमें आशा है कि परिचालन के दिशानिर्देश बागवानी क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं/ परियोजनाओं को तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे ।

परिचालन के दिशा–निर्देशों में कार्यक्रम के परिचालन के लिए उसके उद्देश्य, उसकी संरचना, प्रस्तावित कार्यक्रमों, लागत संबंधी मापदंड, सहायता के पैटर्न और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संगठनों और राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान करने के यथासंभव प्रयास किए गए हैं । बागवानी मिशन के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों का यथासंभव व्यापक रूप से प्रसार किए जाने की जरूरत है ।

ह0/–

(राधा सिंह)